भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2476
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लोगों का पलायन

2476. श्री बलभद्र माझी:

श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ पलायन की चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें निवास क्षेत्र में ही बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में ग्रामीण विकास को किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है कि ग्रामीण युवा अपने समुदायों में बने रहें, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दें और शहरी क्षेत्रों में भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने में सहायता करें; और

(ङ) क्या मनरेगा उक्त पलायन को रोकने में सहायक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने के लिए बहुआयामी कार्रवाई की आवश्यकता है , जैसे उन्नत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना , क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, रोजगार सृजन, कौशल प्रदान करना, उद्यमशीलता गतिविधि को प्रोत्साहित करना , भूमि सुधार करना , साक्षरता बढ़ाना तथा वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाओं तक आसान पहुंच बनाना आदि।

जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंध है, यह रोजगार के अवसर और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ये सभी उपाय लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने , अपनी आजीविका कमाने तथा अपने निवास स्थान के निकट ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं , तथा इस प्रकार ग्रामीण आबादी के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होते हैं। शहरों की ओर पलायन को कम करने में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली कुछ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत, उस ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से संपर्कता प्रदान करना है , ताकि इन बसावटों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं , शिक्षा और उनके उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच मिल सके। इसका शिक्षा , स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच , रोज़गार सृजन, बेहतर कृषि मूल्य आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पीएमजीएसवाई ने कृषि और कृषि से इतर रोज़गार के नए अवसर प्रदान किए हैं , जैसे कि आस-पास के शहरी क्षेत्रों में रोज़गार , जहाँ लोग रोज़ाना आवागमन कर सकते हैं। इसलिए , पीएमजीएसवाई कुछ हद तक पलायन की गति को रोकने में सक्षम है।

(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 1 अप्रैल, 2016 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। पीएमएवाई-जी के तहत बुनियादी सुविधाओं के साथ मार्च 2029 तक कुल 4.95 करोड़ पक्के आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण गतिविधियां पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के माध्यम से पलायन के कारकों को कम करने में भी योगदान देती हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत , इकाई सहायता के अतिरिक्त , आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90/95 कार्य दिवस अकुशल मजदूरी का प्रावधान है। इसके अलावा , पीएमएवाई-जी के ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत

अब तक लगभग 3 लाख राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएमएवाई -जी के अंतर्गत, आवास निर्माण के लिए निर्माण सामग्री के उत्पादन और उनके परिवहन के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है।

(iv) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण गरीब और कमजोर परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करता है और उनके कौशल का निर्माण करके उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ता है और उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त, अधिकारों और सेवाओं के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं के गहन और निरंतर क्षमता निर्माण से उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित होगा। मिशन चार मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात (क) ग्रामीण गरीबों का सामाजिक संगठन और स्थायी सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा देना; (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन; (ग) स्थायी आजीविका; और (घ) सामाजिक समावेशन, विकास और अभिसरण।

(v) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) 18-45 वर्ष की आयु के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है , जिससे उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। 64 अनुमोदित पाठ्यक्रम हैं जिनमें आरएसईटीआई संबंधित राज्यों की विशिष्ट मांगों के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं , जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन काफी कम हो जाता है।

(vi) भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को कार्यान्वित कर रहा है , जो मृदा और जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास और आजीविका सहायता में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिससे स्थायी आय के अवसर और कौशल विकास उपलब्ध होता है।

(ड़.) मनरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को उस समय तात्कालिक विकल्प के रूप में आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराती है जब बेहतर रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) इस योजना के अंतर्गत कुल 1813.26 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 412.09 करोड़ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया

है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई पहल की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवार चित्रकला सहित उचित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना।
- मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्य की मांग अपंजीकृत न रहे,
- सहभागितापूर्ण तरीके से योजनाएँ तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करना।
- 'रोज़गार दिवस' का आयोजन करना।
- लाभार्थियों की सतत आय के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित कार्य दिवसों और सृजित टिकाऊ परिसंपत्तियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**सृजित कार्य दिवस (रूपये करोड़ में)**	**निर्मित टिकाऊ परिसंपत्तियों की संख्या**
2019-20	265.35	74.67
2020-21	389.09	84.35
2021-22	363.19	89.96
2022-23	293.70	94.45
2023-24	308.91	84.24
2024-25 (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	193.02	59.09
कुल	1813.26	412.09

*****